

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहांपुर एवं गोण्डा ।

पत्रांक- सी-015/बजट/03-ब्लाक/समर्पण/2020-21

दिनांक :: 20 जुलाई, 2020 ।


विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के अन्तर्गत धनराशि का पुर्नग्रहण/समर्पण किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष आपके समर्पण प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित मानक मद में संलग्न माइनस ग्रीड संख्या-001- C0015.Budget. Minous03Block.2020-2021 दिनांक 20 जुलाई, 2020 में उल्लिखित विवरण के अनुसार मानक मदवार कुल रूपये रु0 2,10,518.00 (रूपये दो लाख दस हजार पाँच सौ अठ्ठारह मात्र) की धनराशि का पुर्नग्रहण/समर्पण स्वीकार किया जाता है ।

2. पुर्नग्रहित/समर्पित धनराशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक- "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न ग्रीड में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा-शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।
 3. उपरोक्त पुर्नग्रहित/समर्पित धनराशि की प्रविष्टि आयुक्त, ग्राम्य विकास (मुख्यालय) के केन्द्रीय बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 40, 41 पर अंकित कर ली गयी है ।
 4. अतएव आपसे अनुरोध है कि संलग्न माइनस ग्रीड के अनुसार अपने अधिष्ठान की मानक मदवार ऋणात्मक प्रविष्टि सम्बंधित केन्द्रीय बजट रजिस्टर में आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें ।
 5. पुर्नग्रहित/समर्पित धनराशि का मिलान सम्बंधित कोषागार से भी कराना सुनिश्चित करें ।
 6. तदनुसार बी.एम.-4 (मासिक व्यय विवरण) में भी यथा आवश्यक अंकन सुनिश्चित करें ।
- संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,


(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्रांक- सी-015/बजट/03-ब्लाक/2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहांपुर एवं गोण्डा ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर एवं गोण्डा ।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त(व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2 ।
6. संयुक्त आयुक्त(मुख्यालय), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
7. गार्ड फाइल ।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहांपुर एवं गोण्डा।

पत्रांक- सी-015/बजट/03-ब्लाक/समर्पण/2020-21

दिनांक :: 20 जुलाई, 2020 ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के अन्तर्गत धनराशि का पुर्नग्रहण/समर्पण किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष आपके समर्पण प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित मानक मद में संलग्न माइनस ग्रीड संख्या-001- C0015.Budget. Minous03Block.2020-2021 दिनांक 20 जुलाई, 2020 में उल्लिखित विवरण के अनुसार मानक मदवार कुल रूपये रु0 2,10,518.00 (रूपये दो लाख दस हजार पाँच सौ अट्ठारह मात्र) की धनराशि का पुर्नग्रहण/समर्पण स्वीकार किया जाता है।

2. पुर्नग्रहित/समर्पित धनराशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक- "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न ग्रीड में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा-शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
 3. उपरोक्त पुर्नग्रहित/समर्पित धनराशि की प्रविष्टि आयुक्त, ग्राम्य विकास (मुख्यालय) के केन्द्रीय बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 40, 41 पर अंकित कर ली गयी है।
 4. अतएव आपसे अनुरोध है कि संलग्न माइनस ग्रीड के अनुसार अपने अधिष्ठान की मानक मदवार ऋणात्मक प्रविष्टि सम्बंधित केन्द्रीय बजट रजिस्टर में आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें।
 5. पुर्नग्रहित/समर्पित धनराशि का मिलान सम्बंधित कोषागार से भी कराना सुनिश्चित करें।
 6. तदनुसार बी.एम.-4 (मासिक व्यय विवरण) में भी यथा आवश्यक अंकन सुनिश्चित करें।
- संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक- सी-015/बजट/03-ब्लाक/2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहांपुर एवं गोण्डा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर एवं गोण्डा।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. विशेष सचिव,ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5. संयुक्त सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, वित्त(व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2 ।
6. संयुक्त आयुक्त(मुख्यालय), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Minus Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
समर्पण दिनांक-20/07/2020

प्रेषण संख्या:- C0015.BUDGET.MINUS03BLOCK.2020.2021
समर्पण आदेश संख्या:-001-C0015.BUDGET.MINUS03BLOCK.2020-2021
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का समर्पण)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)


102 - सामुदायिक विकास
03 - मुख्य अधिष्ठान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		49-चिकित्सा व्यय	योग
1	शाहजहांपुर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0, --01--	वर्तमान प्रगामी	118440 118440	118440 118440
2	गोण्डा-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0, --01--	वर्तमान प्रगामी	92078 92078	92078 92078
	योग	वर्तमान प्रगामी	210518 210518	210518 210518

महायोग- (वर्तमान समर्पण):- रूपया दो लाख दस हजार पाँच सौ अठारह
महायोग- (प्रगामी समर्पण):- रूपया दो लाख दस हजार पाँच सौ अठारह


कमलेश कुमार
अपर आयुक्त- वित्त